Mango Municipal Corporation

FOR APPROVAL OF BUILDING PERMIT

With respect to your Application No. **MNAC/BP/0036/W08/2020** Date **12/11/2020 6:29:16 PM** permission is hereby granted in favor of,

Smt / Shri **(1) SYED ZUBAIR ALAM (2) IMTEYAZ AHMAD (3) JAWED ASHRAF**

For :

a) Construction of a **New** building

b) Reconstruction of **New** building

c) Alteration of **New** building

d) Alteration or additions in the existing building

e) Institution of change of the use of building **Commercial** (Specify)

In respect of Plot No. (CS) **3605, 4265** Plot No. (MSP) **3605, 4265** Khata No. **764(old), 765 (new)** Holding No. **0080008983000A1** Village **Pardih** of Municipal Corporations / Municipal Council / Nagar Panchayats/ Metropolitan area/ Planning Area under Planning Authority/ Gram Panchayat areas covered under Development Plan/ Planning Authorities/ or any Planning Scheme notified under Jharkhand Urban Planning and Development Act 2012 within the Development plan/ Area Development Scheme of Subject to the following conditions / restrictions.

a)The land/ Building shall be used exclusively for **Commercial** purpose and the uses shall not be changed to any other use without prior approval of this Authority.

b) The development shall be undertaken strictly according to plans enclosed with necessary permission endorsement.

c) Parking space measuring **240.29** sq. m. as shown in the approved plan shall be kept open and no part of it will be built upon.

d) The land over which construction is proposed is accessible by an approved means of access of **15** m. width.

e) The land in question must be in lawful ownership and peaceful possession of the applicant..

f) The applicant shall free gift 0 m. wide strip of land of the road in the name of the authority for the purposes as mentioned in these Byelaws.

g) The permission is valid for period of **12/11/2023** with effect from the date of issue.

h) Permission accorded under the provision cannot be construed as evidence in respect of right title interest of the plot over which the plan is approved.

i) Any dispute arising out of land record or in respect of right/title/ interest after this approval the plan shall be treated automatically cancelled during the period of dispute.

j) Any other conditions.

Memo No. **MNAC/BP/0056/W08/2020**, Date **20/11/2020 05:59:33 PM**
Copy along with 3 copies of the approved plans to
Smt / Shri **(1) SYED ZUBAIR ALAM (2) IMTEYAZ AHMAD (3) JAWED ASHRAF**

Certification signature by
DEEPAK SAHAY,
Validity Unknown

Name : DEEPAK SAHAY
Designation : Executive Officer
Organization : Personal
Authorized Officer / Authority

Copy with a copy approved plan forwarded to the **Mango Municipal Corporation** for information.

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 426 एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कडिका 7.1 के तहत् भवन प्लान की स्वीकृति)

परमिट संख्या:– 38 / 2016 दिनांक: 8/04/2016

सेवा में,

1. श्री जावेद अशरफ, पिता– स्व० मुर्तजा हुसैन,
2. शबी अहमद, पिता– स्व० एस० वसी अहमद

क्वार्टर नं०–185 / L 4, रोड नं०–7, बी०एच० एरिया,
कदमा, जमशेदपुर।

महाशय,

प्लॉट संख्या:– 3593, खाता संख्या:– 434, मौजा:– पारडीह, वार्ड स०–8, पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में व्यवसायिक भवन Semi Basement (Parking) + Ground Floor (Commercial) + 3rd Floor (Commercial), Height-13.30 M, कुल इकाई–04 अदद हॉल के व्यवसायिक इकाई के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्त्तों पर दी जाती है:–

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई / मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत् स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड भवन निर्माण विभाग / भारतीय मानक / भारतीय भवन संहिता की विशिष्टियों के अनुरुप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रुपांकण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता पर होगी।
4. भूखण्ड के सामने चहारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पेवमेन्ट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रुप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अक्षेस कार्यालय को देनी होगी तथा प्लींथ / भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जॉच (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माणकर्त्ता को अपार्टमेन्ट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
8. प्रत्येक तल पर समुचित क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा।
9. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
10. भवन निर्माण मे 50 प्रतिशत फ्लाई एश ब्रिक्स का प्रयोग करना होगा।
11. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अक्षेस को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन मे Occupancy नही दी जा सकेगी।
12. मानगो बिल्डिंग बाई लॉज 2007 एवं झारखण्ड अपार्टमेन्ट अधिनियम 2005 में वर्णित अन्य सभी प्रावधानो का पालन करना होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान मानगो अक्षेस द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि / सरकारी भूमि / आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत मे भवन निर्माण नही किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
15. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, प्लॉट एव खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल, एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
16. भवन मे समुचित क्षमता का तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है।
17. भवन प्लान की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता को उपरोक्त शर्तो के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
18. विभागीय निदेश के आलोक मे वाणिज्य कर विभाग से TIN No. प्राप्त करना आवश्यक है। अतः तीन माह के अंदर TIN No. इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा अन्यथा परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।
19. यह परमिट निर्माण हेतु निर्गत तिथि से मात्र तीन वर्षों के लिए ही विधिमान्य होगी।

(हस्ताक्षर) 31/03/16
सहायक अभियंता,
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर।

(हस्ताक्षर) 4.4.16
विशेष पदाधिकारी
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
(मुहर: विशेष पदाधिकारी, मानगो अधिसूचित क्षेत्र स...)